

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-सि० को०-०१/२००१ पार्ट IV- 193

/ पटना, दिनांक- 30/4/25

आवश्यक सूचना

विषय- गरमा सिंचाई 2025 के अवधि में पूर्वी कोशी नहर प्रणाली में जलश्राव बंद रखने के संबंध में।

Subject:- Notice for closure of Eastern Kosi Canal System during Garma Irrigation 2025.

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा के परिक्षेत्राधीन पूर्वी कोशी नहर प्रणाली में गरमा सिंचाई 2025 के अवधि में जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि गरमा सिंचाई 2025 के अवधि में इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। कृषकों से अनुरोध है कि उक्त अवधि में गरमा सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में कृषकों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

AK
30/04/25

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सि०को०-०१/२००१ पार्ट IV- 193

/ पटना, दिनांक- 30/4/25

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी०/ई-मेल के साथ बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु०- यथावत्।

AK
30/04/25

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सि०को०-०१/२००१ पार्ट IV- 193

/ पटना, दिनांक- 30/4/25

प्रतिलिपि:- जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना की दस प्रति एवं ई-मेल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया इस सूचना को दो समाचार पत्रों में एक दिन बीचकर दो दिन प्रकाशित कराया जाय।

अनु०- यथावत्।

AK
30/04/25

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)